

मालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं०-24/2023

धारा-144 दं०प्र०स०

राजो देवी -बनाम- कैलाश महतो

लेख

—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

अभियुक्ति

यह वाद आवेदक तथा इनके विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार दिनांक 15.02.2023 को दं०प्र०स० कि धारा 144 के तहत कार्रवाई को प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगाई गई।


विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :-


मौजा-रेम्बो, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग।

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी
16	359	49 डी० मधे 24 $\frac{1}{2}$ डी०	उ०- नदी द०- नीज पू०- नीज प०- केवाल राम वगै०

अभिलेख में दाखिल कारणपृच्छा, दाखिल दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्ताओं के दलील तथा उभय पक्षों के बयानातों से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के पास प्रश्नगत भूमि के स्वत्व से संबंधित अलग-अलग दस्तावेज है एवं इन्हीं अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर अपने स्वत्व एवं दखल कब्जा का दावा करते हैं। उभय पक्षों का वाद अपने स्वत्व के आलोक में प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा पाने का है, जिसका निवारण दं०प्र०स०-144 अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है। अतः उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के साथ वाद की कार्यवाही बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है। उभय पक्ष अपने स्वत्व के आलोक में दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग